



जवाहर नवोदय विद्यालय जाफरपुर कलाँ, दिल्ली – 110073  
निविदा प्रपत्र : विद्यालय मैस में खाना पकाने इत्यादि कार्य हेतु निविदा

निविदादाता- फर्म का नाम व पता

---

---

---

---

सैल टैक्स नं0/टैन नं0/जीएसटी नं0

प्राचार्य

जवाहर नवोदय विद्यालय

जाफरपुर कलाँ, नई दिल्ली –110 073

विषय – वर्ष 2018–19 के लिए विद्यालय मैस में खाना पकाने इत्यादि कार्य हेतु निविदा

संदर्भ – आपकी निविदा सूचना सं0 \_\_\_\_\_

महोदय,

आपके द्वारा विद्यालय मैस में खाना पकाने इत्यादि कार्य की निविदा के क्रम में निविदा फार्म सं0 \_\_\_\_\_ के तहत \_\_\_\_\_ रुपये की धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट सं0 \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के रूप में जमा कर रहा हूँ मेरी/हमारी फर्म निम्न दर छूट बिक्री कर व अन्य सभी खर्चों सहित प्रस्तावित है:

क्रम सं0	कार्य का प्रकार	निविदादाता द्वारा प्रस्तावित दर (प्रति व्यक्ति)
1.	विद्यालय मैस में नाश्ता, दोपहर एवं सायं का खाना तैयार करने एवं अन्य सहयोगी कार्यों हेतु रसोईया मजदूर/कर्मचारी उपलब्ध कराना	दर प्रतिमाह (प्रति व्यक्ति) : ..... ..... जुलाई 2018 से अप्रैल 2019 तक

नियम एवं शर्त :-

- विद्यालय में लगभग 550 विद्यार्थियों मय स्टाफ का नाश्ता, दोपहर एवं सायं का भोजन तैयार किया जाना है जिसके लिए नवोदय समिति द्वारा एक रसोईया तथा दो सहायक नियमित रूप से नियुक्त है। उक्त कार्य के सहयोग हेतु अतिरिक्त मैस लैबरो हेतु निविदा आमंत्रित है।
- निविदादाता को विद्यालय मैस में कार्य हेतु कम से कम 08 व्यक्ति उपलब्ध कराने होंगे। जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं किसी प्रकार का नशा न करने वाले हो तथा वे किसी भी सक्रमित बिमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए।
- विद्यालय मैस का कार्य सीधे तौर पर विद्यार्थियों एवं स्टाफ के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है अतः मैस मे कार्य पूर्ण शुद्धता, स्वच्छता, सावधानी एवं सफाई पूर्वक करना होगा तथा स्वयं भी साफ सुथरा रहना होगा।

4. विद्यालय मैस के समय एवं मीनू के अनुसार प्रातः नाश्ता, दोपहर एवं सांय का भोजन एवं आवश्यकतानुसार स्नैक्स आदि बनाना होगा। मैस का समय, मीनू एवं कार्य, मैस प्रभारी अथवा खान-पान सहायक के निर्देशानुसार करना होगा।
5. मैस वर्कर मैस प्रभारी/खान पान सहायक के दिशा निर्देश में कार्य करेंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में अथवा प्रभारी के कार्य से सन्तुष्ट न हाने की स्थिति में प्राचार्य के निर्देशानुसारी कर्मचारी को अविलम्ब हटा दिया जाएगा तथा नया कार्यकर्ता उपलब्ध करना होगा।
6. मैस प्रभारी द्वारा उपलब्ध करये गये बर्तन एवं अन्य सामग्री को संभालना एवं उचित ढंग से देखभाल करना तथा समय पर खाद्य सामग्री तैयार करवाने में मदद कर उसे सुरक्षित ढंग से रखना तथा परोसना इत्यादि करना होगा।
7. विद्यालय में पतझड़/शीतकालीन अवकाश की अवधि या प्रशासनिक कारणों से छात्रों की संख्या कम होने पर विद्यालय प्रशासन के निर्देशानुसार कर्मचारी कम करने होंगे जिसका अनुपातिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।
8. निविदादाता एवं प्रदत्त कर्मचारियों को विद्यालय प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों को पूर्ण रूप से पालन करना होगा। उन पर किसभी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी तथा प्राचार्य द्वारा दिए गए आदेश एवं किसी भी विवादित विवरण में प्राचार्य का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।
9. टीडीएस की कटौती नियमानुसार की जाएगी तथा यदि निविदादाता प्राचार्य को इस आशय का प्रमाण पत्र देगा कि वह श्रम विभाग के समस्त नियमों का पालन करता है एवं उन्हें श्रम विभाग द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक से कम नहीं देता है।
10. आपूर्तिकर्ता आपूर्ति किए गए कर्मचारियों का ईपीएफ/ईएसआई की कटौती अनिवार्य रूप से करेगा और उसका विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
11. निविदादाता को उसके द्वारा उपलब्ध कर्मचारी की उपस्थिति के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा। किसी भी स्थिति में माह में छब्बीस दिवस से ज्यादा का भुगतान नहीं किया जाएगा।
12. निविदादाता/टेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों को सुरक्षा की दृष्टि से पहचान पत्र एवं पुलिस द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

### **Undertaking**

मैं यह सत्यापित करता हूँ कि निविदा में लिखी सभी शर्तें मुझे मंजूर हैं यदि शर्तें आपूर्ति आदेश में दी गयी हो तो वो भी मंजूर होगी।

दिनांक \_\_\_\_\_

स्थान \_\_\_\_\_

निविदाकार का दूरभाष \_\_\_\_\_

खाता संख्या \_\_\_\_\_

बैंक का नाम एवं ब्रांच \_\_\_\_\_

IFSC Code \_\_\_\_\_

निविदाकार के हस्ताक्षर तथा फर्म की सील